*IEHE The Quest | Volume II | 2023.*

Issue 2: Pages 42-48.

# भारत का संघीय स्वरूप एवं गठबन्धन की राजनीति

साधना पाण्डेय एवं राज कुमार कुशवाहा

राजनीति विज्ञान विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान(IEHE), भोपाल, म.प्र. भारत

**शोध आलेख सारांश**

भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुये भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये संघीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही 'भारत को राज्यों का संघ' कहा गया है। संविधान में संघात्मक स्वरूप के सभी बुनियादी लक्षणों को शामिल करते हुये देश की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिये एकात्मक लक्षणों को भी स्थान दिया गया है। संघीय स्वरूप के साथ ही बहुदलीय प्रणाली को भी अपनाया गया है। बहुदलीय प्रणाली में एकदलीय स्पष्ट बहुमत की सरकारों के साथ ही बाद की परिस्थितियों में गठबन्धन की सरकारें भी केन्द्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर निर्मित एवं संचालित हुयीं। दोनों ही सरकारों के समक्ष अलग-अलग प्रकार की चुनौतियाँ बनती रहीं, लेकिन एक आम सहमति बनाकर विविध क्षेत्रों एवं समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने में गठबन्धन की सरकारें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक भारत का संघीय स्वरूप है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में उल्लेखित है कि 'भारत राज्यों का मेल' होगा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी आवश्यक विशेषताओं को अपनाया गया है लिखित एवं कठोर संविधान, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतन्त्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका।

यद्यपि संविधान द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के मध्य तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है किन्तु व्यवहारिक रूप से संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्ति में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करें कि राष्ट्रहित में यह हितकर है तो संसद राज्यसूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की कमियों को दूर करने की दृष्टि से ही भारत के संघीय शासन में एकात्मक स्वरूप के कुछ लक्षणों को भी स्वीकार किया गया है, इसलिये कहा जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है और आत्मा एकात्मक है।

भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ संघीय स्वरूप में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखायी देता है, जिन्हें हम संक्षेप में चार प्रकारों में चिन्हित कर सकते हैं:-

(1) **केन्द्रीयकृत संघवाद का युग** - 1950 से 1967 तक का समय भारतीय राजनीति में केन्द्रीयकृत संघवाद के युग के रूप में समझा जा सकता है। केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेस का एकछत्र शासन था अतः मतभेदों को दल के संगठन स्तर पर ही हल कर लिया जाता था।

(2) **सहयोगी संघवाद का युग** - 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात शक्ति संतुलन राज्यों की तरफ झुका। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के उपरान्त भी सहयोग बना रहा । सहयोगी संघवाद का प्रमुख लक्षण केन्द्र और राज्यों की सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता रही।

(3) **एकात्मक संघवाद का युग** - 1971 के पाँचवें लोकसभा चुनाव से भारतीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गाँधी सर्वमान्य नेतृत्व के रूप में स्थापित रहीं। जून 1975 से मार्च 1977 तक भारतीय राज्य एकात्मक राज्य में परिवर्तित हो गया। सम्पूर्ण शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के पास समाहित हो गयीं थीं।

(4) **गठबन्धन (सौदेबाजी) संघवाद का युग** - छठवें आम चुनाव (1977) से भारतीय राजनीति में नवीन परिवर्तन आया। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुयी और राज्यों में भी अलग-अलग दलों की सरकारें स्थापित हुयीं।

1989 से 1999 के मध्य के चुनावों से यह प्रतीत होता है कि भारत में संघीय व्यवस्था का सौदेबाजी वाला प्रतिमान ही कार्यरत था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1989), श्री

चन्द्रशेखर (1990), श्री पी.वी. नरसिम्हाराव (1991), श्री एच.डी. देवगौड़ा (1996) तथा श्री इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनने वाली सभी केन्द्रीय सरकारें अल्पमतीय सरकारें थीं, जिन्हें सत्ता में बने रहने के लिये उन दलों का सहयोग लेना पड़ा जो राज्यों में शक्ति में थीं। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें थीं जिनके सहयोग पर केन्द्रीय सरकार टिकी हुयी थी तथा कई विषयों पर इन सहयोगी दलों ने केन्द्र से सौदेबाजी भी की। भारतीय राजनीति में गठबन्धन की केन्द्रीय सरकारों को कई अवसरों पर क्षेत्रीय दलों की सरकारों के दबाव में रहना पड़ा तथा प्रत्येक क्षेत्रीय दल केन्द्रीय सरकार को समर्थन देने के बदले में अपने क्षेत्र (राज्य) के लिये विषेष सुविधाओं की माँग भी कर रहा था।

कुल मिलाकर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का संघीय स्वरूप और गठबन्धन की राजनीति एक साथ कैसे कार्य करते हैं।

भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के कारण गठबन्धन की सरकारें एक सहज राजनीतिक व्यवस्था है। गठबन्धन सरकारों को विविध राजनीतिक दलों से विचार- विमर्श करने और एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम या समझौते की आवश्यकता होती है जो उनके साझा एजेंडे और नीतियों (मुद्दों) को रेखांकित करता हो। यह समझौता राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने तथा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि गठबन्धन सहयोगी अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक साथ काम करते हैं। इस प्रकार की गठबन्धन सरकारें केन्द्र

में तथा राज्यों (दोनों) में भी निर्मित होती हैं। इस शोध आलेख में हम केन्द्र में गठबन्धन सरकारों के सन्दर्भ में भारत के संघीय स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं।

भारत में गठबन्धन सरकारों के कार्यकलापों की यदि समीक्षा की जाये तो यह स्पष्ट होता है कि प्रायः राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रकृति और गठबन्धन सहयोगियों के मध्य आम सहमति की आवश्यकता के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्रथमतः गठबन्धन सरकार में सरकार की स्थिरता बनाये रखने के लिये दलों को नीतिगत निर्णयों से समझौता भी करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सरकार को गठबन्धन सहयोगियों के मध्य मतभेदों के कारण आर्थिक सुधारों को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द्वितीय भारत विशिष्ट राज्यों (क्षेत्रों) को प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ एक विविधतापूर्ण देश है। गठबन्धन सरकारों को प्रायः इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं और मांगों को भी पूरा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, गठबन्धन सरकारें प्रायः सत्ता विरोधी भावनाओं और चुनावी दबावों का भी सामना करती है, विशेष रूप से तब जब सरकारें अपने चुनावी वादों को पूरा करने या जनता की समस्याओं का निवारण करने में असमर्थ होती हैं। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गठबन्धन सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

किसी विशेष राजनीतिक दल या सरकार से जुड़ी नहीं हैं, ये भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतन्त्र में गठबन्धन राजनीति की गतिषीलता में निहित है।

इन चुनौतियों के साथ भारत के संघीय स्वरूप में गठबन्धन की राजनीति कुछ सकारात्मक पहलुओं को भी सामने लाती है। मुख्यतः गठबन्धन सरकारों में विविन्न क्षेत्रों, समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल सम्मिलित होते हैं, इसलिये यह शासन को अधिक समावेशी और प्रतिनिधि स्वरूप की तरफ प्रवृत्त करता है। दूसरे, गठबन्धन सरकारें नीतिगत विषयों पर एक आम समझौते तक पहुँचने के लिये बातचीत और अन्ततः समझौते और सहमति को प्रात्साहित करती है। उदाहरण स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकार ने क्षेत्रीय दलों को शामिल करते हुए केन्द्र में एक गठबन्धन सरकार को सफलतापूर्वक प्रबंधित एवं संचालित किया। सरकार संवाद और बातचीत के माध्यम से प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आम सहमति बनाने में सक्षम रही है। एक संघीय व्यवस्था वाले देश भारत में गठबन्धन सरकारें क्षेत्रीय विकास और सहयोग पर भी अधिक ध्यान केन्द्रित करने को प्रोत्साहित करती हैं।

अन्ततः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारत के संघीय स्वरूप में गठबन्धन सरकारें अपनी विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विविध राजनीतिक हितों को समायोजित करने, विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। यद्यपि उन्हें प्रभावी समन्वय और संवाद की आवश्यकता होती है, लेकिन गठबन्धन सरकारें एकदलीय सरकारों की तुलना में अधिक समावेशी और संतुलित शासन प्रणाली में योगदान करती हैं। यह सही है कि संघीय स्वरूप में गठबन्धन सरकारों की सफलता, इसमें शामिल

दलों की एक सामान्य कार्यसूची बनाने, परस्पर एकता बनाये रखने और सम्पूर्ण राष्ट्र और उसकी जनता की भलाई की दिशा में कार्य करने की सोच एवं क्षमता पर निर्भर करती है।

**सन्दर्भ सूची :-**

1. ए.एस. नारंग, "भारतीय शासन एवं राजनीति" गीतान्जलि पब्लिशिंग हाऊस, पृष्ठ 74.
2. नवीन कुमार अग्रवाल, "भारत की राजनीतिक व्यवस्था" , ज्ञानदा प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृष्ठ 231.
3. टी.पी. जोशी एवं आर.एस. आढा, "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था: पुर्नरचना के विविध आयाम" , रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, पृष्ठ 53.